

नीज Nil मुबलिंग Nil बाबत Nil खर्चा
 इस मुकदमें के मय सूद व शहर Nil फीस दी सालाना आज की तारीख से
 तारीख वसूलयाबी तक Nil का अदा करे।

बशब्द मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख माह वर्ष 2024 को जारी किया गया।

नोट :- प्रकरण में वकील वादी द्वारा स्टाम्प 100 रूपयें का प्रस्तुत करने से डिक्री आज दिनांक
 07/11/2024 को मुर्तिब की गई।

3
 (अजीत सिंह राठौड़)
 उपखण्ड अधिकारी
 बिजौलियां

मुद	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अरजीदया	-		स्टाम्प अरजीदया	-	
स्टाम्प वकीलात नामा	-		स्टाम्प वकीलात नामा	-	
स्टाम्प वजह सबूत	-		स्टाम्प वजह सबूत	-	
मेहनताना वकील ()	-		मेहनताना वकील ()	-	
खर्चा गवाह	-		खर्चा गवाह	-	
फीस कमीश्नर	-		फीस कमीश्नर	-	
बाबत इजराय हुक्मनामा	-		बाबत इजराय हुक्मनामा	-	
मुनफरिफ	-		मुनफरिफ	-	
मीजान			मीजान		



3
 (अजीत सिंह राठौड़)
 उपखण्ड अधिकारी
 बिजौलियां

मूल वाद में डिक्री
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी : - श्रीमान् अजीत सिंह राठौड़ (RAS)

वादपत्र संख्या 42/2023

दायर तारीख 11/08/2023

अनवान

01. कैलाश पुत्र घीसा जाति कुम्हार उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी सुखपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)
02. गायत्री पत्नि शम्भुलाल जाति कुम्हार उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी सुखपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)
03. मन्नालाल पुत्र देवीलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी गोविन्द निवास तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)
04. रमेश पुत्र घीसा जाति कुम्हार उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी सुखपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)

..... डिक्रीदार

बनाम

01. शम्भु पुत्र घीसा जाति कुम्हार उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी सुखपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)
02. भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां, तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज0)

..... मदयूनान

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 रा0टी0एक्ट

निर्णय दिनांक : 07 / 11 / 2024

डिक्री दिनांक : 07 / 11 / 2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसल कर्तई रूबरू न्यायालय उपखण्ड न्यायालय बिजौलियां बहाजरी विद्वान अधिवक्ता वादी श्री रामफूल धाकड़ को हुकम दिया है व डिक्री दी जाती है कि :-

अतः वादपत्र वादी अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर डिक्री इस आशय कि जारी की जाती है कि निम्नांकित भूमि उनके नाम के आगे अंकित खातेदारान के नाम ग्राम सुखपुरा पटवार हल्का सुखपुरा के राजस्व अभिलेखों में पृथक-पृथक अभिलिखित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। डिक्री मूर्तिब हों।

क्र. सं	खातेदार का नाम	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
01	1. कैलाश पि. घीसा सा.देह 11/30 2. गायत्री पत्नि शम्भुलाल कुम्हार सा.देह 6/30 3. मन्नालाल पि. देवीलाल धाकड़ सा.देह 2/30 4. रमेश पि. घीसा सा.देह 11/30	सुखपुरा	489/168/1	0.5967
	योग		किता 01	0.5967
02	शम्भु पिता घीसा कुम्हार सा0 देह हिस्सा पूर्ण	सुखपुरा	489/168/2	0.0994
	योग		किता 01	0.0994

खर्चा पक्षकारान स्वयं अपनी जमाना वहन करें।



उपखण्ड मजिस्ट्रेट लगातार पेज संख्या 02 पर
बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा

क्र.	खारेदार का नाम	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
01	1. कैलाश वि. धीसा सा. देह 11/30 2. गायत्री पत्ति शम्भुलाल कुम्हार सा. देह 6/30 3. मन्नालाल वि. देवीलाल धाकड़ सा. देह 2/30 4. रमेश वि. धीसा सा. देह 11/30	सुखपुरा	489 / 168 / 1	0.5967
	योग		किता 01	0.5967
02	शम्भु पिता धीसा कुम्हार सा।0 देह हिस्सा पूर्ण	सुखपुरा	489 / 168 / 2	0.0994
	योग		किता 01	0.0994

उक्तानुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है। वकील वादी निर्धारित नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प प्रस्तुत करें तब डिक्री मूर्तिब हो। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना - अपना वहन करें।

31
(अजीत सिंह राठी) *31*
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

निर्णय आज दिनांक 07/11/2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



31
(अजीत सिंह राठी)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

4/2/2024
5/7/24
25/7/24
29/9/24
23/9/24
25/9/24
10/10/24
23/10/24
7/11/24

1-द
2-अ

रि
रेसपो

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठसीन अधिकारी :- श्रीमान अजीत सिंह रावौड़ (RAS)

बादपत्र संख्या 42 / 2023

अनवान

दायर तारीख 11 / 08 / 2023

01. कैलाश पुत्र धीसा जाति कुम्हार उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी सुखपुरा तहसील विजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)
02. गायत्री पति शम्भुलाल जाति कुम्हार उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी सुखपुरा तहसील विजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)
03. मन्नालाल पुत्र देवीलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी गोविन्द निवास तहसील विजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)
04. रमेश पुत्र धीसा जाति कुम्हार उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी सुखपुरा तहसील विजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)

बनाम

.....वादीगण

उपस्थित :- श्री रामफूल धाकड़ - अधिवक्ता वादीगण

.....प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

-: निर्णय :-

दिनांक :- 7 / 11 / 2024

संक्षेप में वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण का बादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाद नियमित सुनवाई दिनांक 16 / 07 / 2024 को प्राथमिक डिक्री इस आशय की जारी हुयी कि ग्राम सुखपुरा पटवार इल्का सुखपुरा स्थित आराजी नं0 489 / 168 रकबा 0.6961 हैट्टेयर भूमि में समस्त वादीगण का कुल हिस्सा 6/7 का पृथक से विभाजन पक्षकारान की उपस्थिति में तैयार किया जावें। प्राथमिक डिक्री की पालना में भूमि विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार विजौलिया से लिया गया। तहसीलदार विजौलिया ने अपने पत्रांक /राजस्व /2024 /1516 दिनांक 23.09.2024 से मौका पर्चा ट्रेस इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अधिवक्ता वादीगण को स्वीकार है।

विभाजन प्रस्ताव जमाबन्दी में दर्ज हिस्से अनुसार बाई मिट्स एण्ड बारण्डस के आधर विभाजन की उपस्थिति में तैयार करना नू-अभिलेख निरीक्षक विजौलियां खुर्द ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है।

अतः बादपत्र वादीगण अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर निम्नांकित भूमि उनके नाम के आगे अंकित खातेदारगण के नाम राजस्व

अभिलेखों में पृथक-पृथक अभिलिखित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।



2023/223

PV

राजस्थान सरकार

(कायदा - 129)

P.D. पाल्ठा डेप्युटी के
मिनिस्टर
गाम्. सुखपुरा

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेंक्स फार्म नंबर 8 के
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला - भीलवाड़ा (राज.)

किस्म मुकदमा	नंबर मुकदमा	तारीख दायर	तारीख फैसला	पेशी दिनांक
1	2	3	4	5
53 RTA दावा	42/23	11/8/23		24/8/23 15/3/24 16/7/24 14/8/24 9/9/24 01/10/24 8/10/24 10/10/24 23/10/24 7/11/24

अनवान

श्री ~~केलाशा पुत्र वीसा जाति कुम्हार~~

श्री शम्भु पुत्र वीसा जाति कुम्हार

निवासी सुखपुरा

निवासी सुखपुरा

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्त

अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी / रेष्पोडेंट

डिक्रीदार

मदयून

श्री शम्भुल धाकड़

श्री